प्रेस विज्ञप्ति
10.10.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला उप-आंचलिक कार्यालय ने वर्तमान में सहायक औषधि नियंत्रक (मुख्यालय), स्वास्थ्य और सुरक्षा विनियमन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश के रूप में तैनात निशांत सरीन को भ्रष्टाचार, जालसाजी, धोखाधड़ी, आय से अधिक संपत्ति के संचय और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 09.10.2025 को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दर्ज एफआईआर के आधार पर, तत्कालीन सहायक औषधि नियंत्रक (एडीसी), बद्दी, निशांत सरीन के खिलाफ जाँच शुरू की। इसके बाद, उन्हें एसवी एवं एसीबी, हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनके सहयोगी कोमल खन्ना के साथ आरोप-पत्र दाखिल किया गया।

हरियाणा के पंचकूला पुलिस द्वारा निशांत सरीन और अन्य के खिलाफ दिनांक 29.10.2022 को एक और एफआईआर संख्या 215/2022 दर्ज की गई थी, जो कि झेनिया फार्मास्यूटिकल्स, पंचकूला के साझेदारी विलेख की कथित जालसाजी से संबंधित एक मामले में दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि निशांत सरीन और कोमल खन्ना द्वारा धोखे से और धमकी के माध्यम से उक्त फर्म में कोमल खन्ना का हिस्सा 50% से बढ़ाकर 95% कर दिया गया था।

इसके बाद, एसवीएंडएसीबी, शिमला द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 के तहत निशांत सरीन के खिलाफ एक और एफआईआर संख्या 08/2025 दिनांक 23.09.2025 दर्ज की गई, जिसमें 01.04.2002 से 21.08.2019 की जांच अवधि के दौरान 1.66 करोड़ रुपये (लगभग) की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने के लिए निशांत सरीन को दोषी ठहराया गया, जबकि निशांत सरीन हिमाचल प्रदेश राज्य में ड्रग इंस्पेक्टर / सहायक ड्रग कंट्रोलर के रूप में तैनात थे।

ईडी की जाँच से पता चला है कि निशांत सरीन ने हिमाचल प्रदेश सरकार में ड्रग इंस्पेक्टर और बाद में एडीसी के पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करके हिमाचल प्रदेश में अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित दवा कंपनियों के प्रबंधन/स्वामित्व वाले विभिन्न व्यक्तियों से व्यक्तिगत लाभ/रिश्वत प्राप्त की। उपरोक्त गतिविधियों के परिणामस्वरूप, निशांत सरीन ने भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षडयंत्र सहित अनुसूचित अपराधों के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों से अवैध आगम अर्जित किए और उसका उपयोग एक शानदार जीवन जीने और अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने में किया।

इससे पहले इस मामले में, ईडी ने जून और जुलाई 2025 के महीने में भी तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें लगभग 32 लाख रुपये मूल्य के दो वाहन, लगभग 65 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण/जेवर, निशांत सरीन से संबंधित 2.23 करोड़ रुपये की शेष राशि वाले 48 बैंक खाते/एफडीआर और उनसे और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित संस्थाओं को जब्त/फ्रीज कर दिया गया था।

निशांत सरीन को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), शिमला के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 14.10.2025 तक उनकी ईडी हिरासत मंजूर कर ली।

आगे की जांच जारी है।